P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 **SHRINKHALA :** VOL-II * ISSUE-IV*December-2014
E: ISSN NO.: 2349-980X

ऑन लाईन वोटिंग : सुविधा एवं चुनौतियां

इरसाद अली खॉ
व्याख्याता,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय बांगड़ पी.जी.महाविद्यालय,
डीडवाना

सारांश

किसी भी समूह, संगठन या राष्ट्र को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक सुनियोजित, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित व्यवस्था की आवश्यकता है। राजतंत्र हो या लोकतंत्र लेकिन कोई न कोई तंत्र होना जरूरी है इस दृष्टि से भारत में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था लागू है। जनता अपने सपनों की सरकार चुनती है तथा उससे अपने सपने साकार करने की उम्मीद रखता है या यू कहें कि सपने साकार करवाने की ताकत एवं अधिकार रखती है।

मुख्य शब्द : ई वोटिंग, मतदान, मताधिकार

प्रस्तावना

सरकार चयन की विभिन्न प्रणालियां आज तक चली तथा चल रही है। इस दिशा में वर्तमान में आयी 'ई वोटिंग' प्रणाली चर्चा का विषय है। स्थानीय परिस्थितियों को देख समझ कर कोई व्यवस्था कायम की जा सकती है, लेकिन स्थानीय परिस्थितियों से घबराकर किसी नवाचार को नहीं अपनाना अत्यंत घातक कदम होता है, अतः मेरा मानना है कि लाख परेशानियों के बावजूद भी भारत में ई वोटिंग लागू करनी चाहिए। आज अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति अपनी झोंपड़ी से मोबाईल में नम्बर डायल करता है तथा कॉल रिसीव करता है। उसने कौन सा प्रशिक्षण लिया है ? ऐसे ही ई – वोटिंग भी समय की आवश्यकता बन गया है, इसे प्रबलता से लेकिन पूर्ण सावधानी से लागू किया जाना चाहिये।

लोकतांत्रिक देशों में 'मतदान' नागरिकों द्वारा सार्वजनिक पदाधिकारियों की स्वीकृति या अस्वीकृति को पंजीकृत करने की क्रिया है। लोकतन्त्र में 'मतदाता' वे जन समुदाय है जिन्हें राज्य कार्यों में भाग लेने का अधिकार होता है। जिन नागरिकों को मताधिकार प्राप्त होता है उन नागरिकों को सामूहिक रूप से मतदाता या निर्वाचकगण कहते हैं। जहां राज्यों में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था होती है, उनमें भी विदेशियों, पागलों या न्यायालय द्वारा दण्डित व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं होता है।[1]

सर्वप्रथम मत के प्रयोग हेतु प्रत्यक्ष एवं सामान्य प्रणाली काम में ली गई जिसमें सभी मतदाताओं को एक जगह इकठ्ठा करके मत दिलवाया जाता था। व्यवस्था यह थी कि जिसे मत देना है उसका नाम बोलने पर एक हाथ खड़ा कर देते, परन्तु उस समय यह समस्या आ जाती थी कि हाथों को गिनना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि कई बार एक ही व्यक्ति दोनों हाथों को खड़ा कर लेता था या सभी प्रत्याशियों के अलग–अलग नाम बोलने पर हाथ खड़ा कर देते थे जिससे मतगणना मुश्किल हो जाती थी। दूसरे प्रयास में यह किया गया कि जिसमें प्रत्याशियों के नाम से अलग–अलग बाड़े (चार दिवारी किये हुए प्लॉट) आवंटित किये जाते थे, जिसके नाम का बाड़ा, उसके समर्थक उस बाड़े में चले जाते। बाद में सब की एक–एक करके गणना की जाती। मत देने वाला किस बाड़े में घुसे यहॉ पर बाहुबली प्रत्याशी द्वारा मतदाता को जबरन अपने बाड़े में ले जाना देखा गया है, जिससे बाहुबली की जीत होती। शायद बाड़ा बंदी शब्द राजनीति में तभी से प्रचलन में आया। इससे निजात प्राप्त करने के लिये आगे जो प्रयोग किया वह था कागज के मत पत्र द्वारा वोटिंग डालना, इससे यह हुआ कि मत पत्र बाहुबलियों द्वारा अपनी इच्छित स्थान पर सील लगवाकर डलवाते जिससे बाहुबली ही जीतता था। इससे निजात प्राप्त करने के लिये मत पत्र डालने की गोपनीय प्रथा रखी गयी। जिससे मत डालते हुए मतदाता को कोई भी प्रत्याशी, ऐजेन्ट, मतदान अधिकारी नहीं देख सकते थे, इससे यह फायदा हुआ कि बाहुबलियों पर नियंत्रण हुआ और सही प्रत्याशी निर्वाचित होने लगे। ऐसी प्रक्रिया में एक समस्या यह रही है कि इसमें मतगणना करने में समय बहुत ज्यादा लगने लगा और कभी–कभी इतना विवाद उत्पन्न हो जाता था कि मत पत्रों को गिनने में बहुत पेचीदगियां सामने आती और यहां तक कि

लड़ाई दंगे होने लग जाते थे। इसका हल यह निकाला गया कि इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (E.V. M.) का प्रयोग किया गया। इसमें वोट निरस्त नहीं होते हैं और मतगणना में समय भी नहीं लगता है।

इन सभी प्रयासों में मतदाता को मतदान केन्द्र पर जाकर मताधिकार का प्रयोग करना पड़ता है। इससे मतदान केन्द्र पर भीड़ इक्ट्ठी हो जाती है, जिससे इस भीड़ के कारण कुछ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने मतदान केन्द्र नहीं जाते हैं और भीड़ से दूर रहना ही पसंद करते हैं। दूसरा व्यापारी, कर्मचारी एवं अन्य दूर स्थान पर गये नागरिक जिनके पास समय की कमी है तथा मतदान केन्द्र से दूर है, इसलिए मतदान केन्द्र पर आकर वे मतदान नहीं कर पाते। चुनाव में कार्यरत कर्मचारियों के मतदान में भाग लेने की व्यवस्था पर चुनाव आयोग द्वारा व्यवस्था कर रखी है, परन्तु मतगणना के समय अलग से मतपत्रों की गिनती होती है। इनके मत किसी पार्टी की ओर झुके होने का संकेत प्रत्याशी का पता चल जाता है जिससे कर्मचारी वर्ग राजनीतिक द्वेशता के शिकार होतेा हैं। इन सभी प्रणालियों की व्यवहारिक विसंगतियों, कमजोरियों एवं इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते अब जो समय है वह है, ऑन लाईन वोटिंग का। इसके फायदे भी हैं तो नुकसान भी है। इसका हम इस लेख के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे।

ऑन लाईन वोटिंग के लिये चुनाव आयोग तो तैयार है, परन्तु अभी ब्रॉड बैंण्ड तैयार नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी भी डिजीटल इण्डिया विजन को नारा दिया था, उसमें इन्टरनेट वोटिंग भी एक है।

भारत में ऑन लाईन वोटिंग गुजरात में पहली बार प्रयोग में लिया गया। गुजरात के निकाय चुनाव में अक्टूबर 2010 में पायलेट प्रोजेक्ट के तहत इसका प्रयोग किया गया। इसमें 6 महानगरों एवं एक–एक वार्ड शामिल थे। इसके लिये मतदाता का ऑनलाईन वोटिंग के लिये पंजीकरण आवश्यक रखा गया। ई वोटर का पहले फार्म भरा जाता है। इसके बाद कलक्टर कार्यालय तफ्तीश करता है कि फार्म भरने वाला सही या नहीं। मतदाता पूर्व ई–वोटर की सूची जारी होती है। मतदान के पूर्व संध्या पर हर ई–वोटर को एक लिंक भेजा जाता है। चुनाव प्रशासन इसे ई–वोटर एक्टीवेशन कहता है। इस लिंक को एक्टिवेट करवाने के बाद मोबाइल पर (ओ.टी.पी.) वन टाईम पासवर्ड भेजा जाता है। लेपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाईल व इन्टरनेट कनेक्षन में पंजीकृत ई–वोटर मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। पहली बार में 50 से 100 ई वोटर बने। इनमें बमुश्किल 10 प्रतिशत ने ही बतौर ई वोटर के रूप में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। गांधीनगर एवं जूनागढ महानगर पालिका में बनी ऑनलाईन वोटिंग प्रोजेक्ट अजमाया गया, लेकिन यह प्रयोग उत्साहजनक नहीं रहा।[1]

इस समय देश में मोबाईल उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 97 करोड़ से अधिक है। मोबाईल उपभोक्ताओं को देखते हुए ऑनलाईन वोटिंग सरल प्रक्रिया है एवं स्वयं माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजीटल इण्डिया विजन के सपने हम सोच रहे हैं कि आम चुनाव इंटरनेट वोटिंग अब जल्द ही हकीकत बन सकती है परन्तु चुनाव आयोग अगले पांच–सात साल तक ऐसी कोई संभावना नहीं देख रहा है। आयोग का मानना है कि अगले सात साल के भीतर वह देश भर में इंटरनेट वोटिंग का विकल्प जनता को उपलब्ध करा दे, ताकि मतदाता घर के डेस्कटॉप या अपने मोबाईल से वोट कर पाए। इसमें भी चुनाव आयोग का यह मानना है कि इस पर सरकार को बहुत ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। यह कुछ 100 करोड़ रूपये में ही हो सकता है। चुनाव आयुक्त एच.एस. ब्रह्मा ने एक साक्षात्कार में कहा कि वास्तव में उनकी योजना वोटिंग लिस्ट को आधार योजना से जोड़ने की है। इसके बाद सभी वोटर्स ई–वोटिंग पर मत पूछा जायेगा। अगर कोई ई वोट देना चाहता है तो उसे एक कोड मिलेगा। चुनाव आयुक्त ब्रह्मा ने कहा कि हमने पांच से सात साल का समय इसलिये लिया है क्योंकि उस समय तक पूरे देश में इंटरनेट की पंहुच होने का आकलन किया जा रहा है।

इसके लिये (ई वोटिंग) को हकीकत में तब्दील करने के लिये जरूरी है कि इंटरनेट गांव–गांव तक पंहुच जाये। आयोग को उम्मीद है कि देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायत तक ब्राड बैण्ड पंहुचाने वाली राष्ट्रीय फाइबर नेटवर्क योजना निश्चित समय में लक्ष्य हासिल कर लेगी। इसके बाद दो साल मतदाता सूची और आधार नम्बर को इन्टरनेट से जोड़ने में लग जायेंगे। सम्बन्धित व्यक्ति चुनाव आयोग की वेब साईट के वोटिंग ऑप्शन पर जाना होगा। वहां कोड और आधार नम्बर भरने के बाद सम्बन्धित व्यक्ति के मोबाईल फोन या ई–मेल पर खास कोड आएगा। इस कोड के माध्यम से सम्बन्धित व्यक्ति वोट कर पायेगा। ई वोटिंग का विकल्प होने के बाद भी परंपरागत वोटिंग चलती रहेगी। ई वोटिंग वैकल्पिक ही होगी। दूर संचार मंत्रालय गांव–देहात तथा ब्राडबैण्ड पंहुचाने वाले कि लिये एनओएफएन या नेशनल ऑप्टीकल फाईबर नेटवर्क बिछा रहा है। अभी देश भर में करीब 60 से 70 प्रतिशत इंटरनेट की पंहुच है। अगले पांच साल में लगभग 100 प्रतिशत जनता तक इंटरनेट पंहुचाने का लक्ष्य है।

ई वोटिंग से पहले चुनाव आयोग ई माध्यम से वोटिंग लिस्ट में सुधार का अवसर देगा। कोई भी व्यक्ति इंटरनेट पर मतदाता सूची देखकर कहीं अपने नाम और पते में सुधार कर सकेगा। इसके बाद एक दिन से भी कम समय में चुनाव आयोग सूची अपडेट कर देगा। इसमें नाम और पते में बदलाव के लिये जनता को परेशान नहीं होना होगा। चुनाव आयोग 15 अगस्त 2015 तक इंटरनेट पर सूची में सुधार करने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद पोलिंग बूथ पर लाईन लगाकर पर्ची लेने की बाध्यता से मुक्ति मिल जायेगी। मतदाता घर से ही पर्ची लेकर आ सकेंगे।[2]

भारत में चुनाव आयोग की निश्पक्षता पारदर्शिता, संवेदनशीलता पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। यही वजह है कि आज भारत का लोकतंत्र फल–फूल रहा है। विश्व की नवीन तकनीकों का चुनाव आयोग समय–समय पर प्रयोग कर रहा है और करने का प्रयास करेगा।

ऑन लाईन वोट एक ऐसे वोट डालने की प्रक्रिया होगी जिसमें नागरिक अपना बिना समय खोये हुए और बिना मतदान केन्द्र जाये हुए कहीं पर भी बैठा हुआ अपने मोबाईल या लेपटॉप आदि के माध्यम से अपना मत दे सकेंगे। इससे निम्न फायदे होंगेः–

1 मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की भीड़ कम होगी।

2 मतदाताओं को लम्बी कतार में खड़ा होने से मुक्ति मिलेगी।
3 प्रत्याशी को घर–घर जाकर वोट डालने के लिए मतदाताओं को विशेष रूप से मतदान दिवस पर नहीं कहना पड़ेगा।
4 पॉलिंग पार्टियों का कार्य सरल हो जायेगा।
5 मतगणना में समय नहीं लगेगा।
6 मत डालने पर प्रत्याशी को पता नहीं चलेगा कि मतदाता ने मत दिया या नहीं अर्थात पारदर्शिता बढ़ेगी।
7 मतदाताओं पर वोट डालते समय बाहुबलियों की धमकियां नहीं चलेगी।
8 निर्वाचन कार्य में लगे कर्मचारी, व्यापारी या विदेश में जाकर कमाने वाले भारतीय नागरिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।
9 वोटों का प्रतिशत बढ़ेगा क्योंकि लगभग सभी नागरिक अपना वोट दे सकेंगे।
10 विकलांग, रोगी, अस्वस्थ बुजुर्ग, प्रसूति महिलायें अपने घर या अस्पताल से वोटिंग कर सकेगी और उन्हें लम्बी कतार में खड़े होने से मुक्ति मिलेगी।
11 दंगे कम होने की संभावना रहेगी, क्योंकि मतदान केन्द्र पर भीड़ एकत्रित नहीं रहेगी।
12 विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव आयोग की पूर्ण निष्ठा झलकेगी और प्रत्याशियों द्वारा चुनाव आयोग पर आरोप–प्रत्यारोप नहीं जड़े जायेंगे।
13 ई–वोटिंग से तकनीकी ज्ञान में बढ़ोत्तरी होगी और जनता में विशेष आकर्षण का केन्द्र रहेगी तथा शांति से चुनाव सम्पन्न हो सकेंगे।

ऑन लाईन वोटिंग से निम्न समस्याएं एवं चुनौतियां परीलक्षित हो सकती हैः–

1 बाहुबलियों द्वारा ऐसा प्रयोग करने वाले वोटरों को अपने घर पर या किसी स्थान पर बुलाकर कोड नम्बर व आधार नम्बर पूछकर जबरदस्ती अपने गुर्गों (गुण्डों) द्वारा वोटिंग करवाना, यह एक प्रकार की बूथ कैप्चरिंग ही होगी जिसे हम दूसरा नाम ई वोटर कप्चरिंग भी दे सकते हैं। यह एक प्रकार की बाड़े बन्दी हो सकती है। वोटर द्वारा नहीं मानने पर उसको सताया या तंग किया जा सकता है या उससे मारपीट या उसकी हत्या तक भी की जा सकती है। इससे अपराध बढ सकता है।
2 चुनाव आयोग और ब्राड बैण्ड सेवाओं को देने वाली कंपनी के कार्यों में बढोत्तरी हो जायेगी। समय पर कार्य होने की सम्भावना नहीं रहेगी। चुनाव आयोग के द्वारा सभी अधिकारी एवं कर्मचारी को पहले इसका प्रशिक्षण दिलवाना होगा। जिससे कार्य सुगम हो सके ऐसा करने पर देश का धन एवं समय खर्च होगा।
3 ई वोटिंग से पूर्व प्रत्येक जगह ब्राड बैण्ड होना आवश्यक है जो अभी नहीं है। इस पर धन व्यय होगा।
4 ई वोटिंग का उपयोग केवल शिक्षित वर्ग ही कर सकेगा। अनपढ़ या साक्षर व्यक्ति नहीं, अतः इसमें पहले शिक्षा का स्तर बढ़ाना होगा। मतदाता को ई तकनीक की शिक्षा दिलवानी होगी जो महंगी होती है।
5 ई–वोटिंग में साईबर क्राईम के तहत वोटिंग साईट हेक करके दूसरे के कोड से वोटिंग या कोड नंबर चुरा कर दूसरे द्वारा वोटिंग कर देने की समस्या बढ़ेगी।
6 ई–वोटिंग अमीरों व शिक्षित वर्ग के लिये सफल हो सकती है परन्तु जिसके पास दो–समय का खाने का पैसा नहीं है उसके पास कहां से मोबाईल होगा और कहां से ई–वोटिंग पंजीकरण करवायेगा। इसका पता नहीं है, न ही उसकी क्षमता होगी कि वह मोबाईल या अन्य तकनीक से अपना वोट दे सकेगा। इससे देश दो भागों में बंटा हुआ नजर आयेगा। एक तो वे जो घर बैठे आराम से मोबाईल से इन्टरनेट के माध्यम से ई वोटिंग करेंगे और दूसरी तरफ गरीब, अशिक्षित मतदाता मतदान केन्द्र पर लाइन में खड़े होकर वोट देंगे इससे गरीबों में असंतोष पैदा होगा जो देश के लिये हानिकारक हो सकता है।
7 जिस दिन मतदान दिवस रहेगा उस दिन ब्राड बैण्ड सेवा ठप्प या बन्द हो जायेगी तो उससे ई वोटिंग द्वारा मतदान करने वाले मतदाता अपने मताधिकार से वंचित रह जायेंगे। इससे ई–वोटर में आक्रोश फैल जायेगा।
8 ई–वोटिंग से वोटर अपना वोट अपने साथी या सम्बन्धी से भी करवा सकता है।

ई वोटिंग के सम्बन्ध में भारतीय परिदृश्य के अनुसार उक्त चुनौतियों की संभावनाएं विद्वानों एवं इस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा जताई जा रही है लेकिन दूसरी तरफ सोचें तो ऐसा कोई नवाचार नहीं हो सकता जिसमें चुनौतियां नहीं हो। अतः जोखिम नहीं तो प्राप्ति नहीं के सिद्धान्त को मानते हुए हमें इस नवाचार की तरफ बढना चाहिये यह वर्तमान समय की सच्चाई है। ई वोटिंग की व्यवस्था आज अति आवश्यक है क्योंकि नागरिकों के पास समय की कमी है तथा मतदाता मतदान केंद्र पर लाईनों में खड़े रहने से घबराते हैं, विदेश में, व्यापार में, चुनाव ड्यूटी, रोगी मतदाताओं के लिये विशेष रूप से लाभदायक रहेगी।

इसके लिये चुनाव आयोग को निम्न प्रयास भी करने होंगेः–

ई–वोटिंग से वोटर अपना वोट देने के लिए थम्ब इम्प्रेशन (अंगूठा निशानी) के द्वारा अपनी स्वयं की उपस्थिति प्रमाणित कर पायेगा। अंगूठा निशान मिलान होने पर ही वोट जारी हो और वहीं अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। जैसेः– बैंक में होता है, वैसी सुविधा हो) ई–वोटिंग के लिये आधार से लिंक हो ताकि उसकी अंगूठा निशान से मिलाने होने पर ही वोट डाला जा सके। इससे यह फायदा होगा कि मतदाता को वोट किसी भी सूरत में दूसरे व्यक्ति द्वारा फर्जी रूप से नहीं दिया जा सकेगा। जिन मतदाता द्वारा ऑन लाईन वोटिंग किया जाता है वहां पर वेब कैमरा भी उपलब्ध हो ताकि मतदान के ऑनलाईन वोटिंग की भी रिकार्डिंग की जा सके।

मतदान केन्द्र पर इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के द्वारा भी वोटिंग हो, साथ ही यदि ई वोटिंग व्यवस्था चालू की जाये बादमें ई वोटिंग का प्रयोग सफल होता है तो इसे पूर्ण रूप से लागू कर दी जाये और परंपरागत मतदान केन्द्रों की व्यवस्था समाप्त कर दी जाये जिससे देश के करोड़ों रूपयों की बचत होगी और कर्मचारियों को ड्यूटी पर तैनात नहीं करना पड़ेगा और न ही दंगे होंगे। इसलिये इस

व्यवस्था को जल्द से जल्द लागू कर देश को ऐसे अग्रणी श्रेणी में लाना होगा। जिससे मनानीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी का डिजीटल इण्डिया विजन सफल हो सके और देश विश्व के पटल पर सर्वाधिक निष्पक्ष, पारदर्शी, संवेदनशील निर्वाचन व्यवस्था को दी जा सके।

सन्दर्भ

1 इनपुट – अपूर्व त्रिवेदी, गांधीनगर – दैनिक भास्कर दिनांक 01.03.2015 पृष्ठ सं. 10
2 दैनिक भास्कर दिनांक 01.03.2015 पृष्ठ सं. 10